फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: 233/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी राधेश्याम पुत्र श्री मागीलाल जाति जाट निवासी ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। प्रार्थी के नाम ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2388, 2387/5031 2381, 2382/5030 जमाबन्दीनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता श्री मांगीलाल पुत्र मान जाति जाट के नाम से दर्ज है। जिसका आन लाईन नक्शा में मौका स्थिति बदलकर अलग ही कर दी गई जबकि पुराना आफ लाईन नक्शा में मौका स्थिति के अनुसार स्थित है जिसके कारण प्रार्थी अब ऑन लाईन नक्शा में पुराने के अनुसार करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया जाता है कि नियमानुसार कार्यवाही कर ऑन लाईन नक्शा में पुराने नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश करने कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी राधेश्याम पुत्र श्री मागीलाल जाति जाट निवासी ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। प्रार्थी के नाम ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2388, 2387/5031 2381, 2382/5030 जमाबन्दीनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता श्री मांगीलाल पुत्र मान जाति जाट के नाम से दर्ज है। जिसका आन लाईन नक्शा में मौका स्थिति बदलकर अलग ही कर दी गई जबकि पुराना आफ लाईन नक्शा में मौका स्थिति के अनुसार स्थित है जिसके कारण प्रार्थी अब ऑन लाईन नक्शा में पुराने के अनुसार करवाना चाहता है। तहसीलदार सांगानेर से रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार शुद्धि पूर्व नक्शा लट्ठा अनुसार शुद्धि प्रस्तावित की गई है। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2388, 2387/5031, 2381, 2382/5030 के ऑनलाईन नक्शे को, ऑनलाईन नक्शे के पहले मूल लटठां के नक्शे [illegible] दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है [illegible] से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:58:44 IST
Reason: SelfAttested